



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16052020-219391
CG-DL-E-16052020-219391

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1316]
No. 1316]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 15, 2020/वैशाख 25, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 15, 2020/VAISAKHA 25, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2020

का.आ. 1475(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के जालना जिले में NH548C के मंठा तालुक सिमा कि.मी. 0.000 से परतुर कि.मी.51.262 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सब डिविजनल अफसर एण्ड लैंड एक्जीजीशन अफसर, परतुर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के जालना जिले में NH548C के मंठा तालुक सिमा कि.मी. 0.000 से परतुर कि.मी.51.262 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: जालना			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: मंठा					
गांव का नाम: दहिफळ खंदारे					
1	596	निजी	एग्रीकल्चर	0.1300000(हेक्टेयर)	0.1300000
2	597	निजी	एग्रीकल्चर	0.1400000(हेक्टेयर)	0.1400000
3	598	निजी	एग्रीकल्चर	0.4800000(हेक्टेयर)	0.4800000
4	599	निजी	एग्रीकल्चर	0.0600000(हेक्टेयर)	0.0600000
5	600	निजी	एग्रीकल्चर	0.2300000(हेक्टेयर)	0.2300000
6	606	निजी	एग्रीकल्चर	0.2300000(हेक्टेयर)	0.2300000
7	623	निजी	एग्रीकल्चर	0.0100000(हेक्टेयर)	0.0100000
8	624	निजी	एग्रीकल्चर	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
गांव का नाम: कानडी					
1	101	निजी	एग्रीकल्चर	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
2	102	निजी	एग्रीकल्चर	0.1200000(हेक्टेयर)	0.1200000
गांव का नाम: नायगाव प्र बामणी					
1	51	निजी	एग्रीकल्चर	2.6000000(हेक्टेयर)	2.6000000
गांव का नाम: तळेगाव					
1	81	निजी	एग्रीकल्चर	0.3600000(हेक्टेयर)	0.3600000
2	84	निजी	एग्रीकल्चर	0.2400000(हेक्टेयर)	0.2400000
3	86	निजी	एग्रीकल्चर	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000

4	88	निजी	एग्रीकल्चर	0.4200000(हेक्टेयर)	0.4200000
5	89	निजी	एग्रीकल्चर	0.0600000(हेक्टेयर)	0.0600000
तालुक का नाम: परतूर					
गांव का नाम: आनंदवाडी					
1	145	निजी	एग्रीकल्चर	0.2900000(हेक्टेयर)	0.2900000
गांव का नाम: एकरुखा					
1	15	निजी	एग्रीकल्चर	0.0800000(हेक्टेयर)	0.0800000
2	44	निजी	एग्रीकल्चर	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
गांव का नाम: रोहिना बु.					
1	114	निजी	एग्रीकल्चर	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
2	116	निजी	एग्रीकल्चर	0.1000000(हेक्टेयर)	0.1000000
3	117	निजी	एग्रीकल्चर	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
4	119	निजी	एग्रीकल्चर	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
5	132	निजी	एग्रीकल्चर	0.1350000(हेक्टेयर)	0.1350000
6	133	निजी	एग्रीकल्चर	0.2600000(हेक्टेयर)	0.2600000
7	134	निजी	एग्रीकल्चर	0.2650000(हेक्टेयर)	0.2650000
कुल				6.4300	6.4300

[फा. सं. 12037/79/2017-MAH(P-6)/3A]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2020

S.O. 1475(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH548C in the stretch of land from **Mantha Taluk Border Km 0.000 to Partur Km 51.262** in the district of Jalna in the state of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Officer & Land Acquisition Officer, Partur in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH548C in the stretch of land from Mantha Taluk Border Km 0.000 to Partur Km 51.262 NH548C in the district of Jalna in the State of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA		District: Jalna			
Sl.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Mantha					
Village: Dahifal Khandare					
1	596	Private	Agriculture	0.1300000(Hectare)	0.1300000
2	597	Private	Agriculture	0.1400000(Hectare)	0.1400000
3	598	Private	Agriculture	0.4800000(Hectare)	0.4800000
4	599	Private	Agriculture	0.0600000(Hectare)	0.0600000
5	600	Private	Agriculture	0.2300000(Hectare)	0.2300000
6	606	Private	Agriculture	0.2300000(Hectare)	0.2300000
7	623	Private	Agriculture	0.0100000(Hectare)	0.0100000
8	624	Private	Agriculture	0.0300000(Hectare)	0.0300000
Village: Kanadi					
1	101	Private()	Agriculture	0.0400000(Hectare)	0.0400000
2	102	Private	Agriculture	0.1200000(Hectare)	0.1200000
Village: Naigaon P Bamhani					
1	51	Private	Agriculture	2.6000000(Hectare)	2.6000000
Village: Talegaon					
1	81	Private	Agriculture	0.3600000(Hectare)	0.3600000
2	84	Private	Agriculture	0.2400000(Hectare)	0.2400000
3	86	Private	Agriculture	0.0200000(Hectare)	0.0200000
4	88	Private	Agriculture	0.4200000(Hectare)	0.4200000
5	89	Private	Agriculture	0.0600000(Hectare)	0.0600000
Taluk: Partur					
Village: Anandwadi					
1	145	Private	Agriculture	0.2900000(Hectare)	0.2900000

Village: Eakrukha					
1	15	Private	Agriculture	0.0800000(Hectare)	0.0800000
2	44	Private	Agriculture	0.0500000(Hectare)	0.0500000
Village: Rohina BK					
1	114	Private	Agriculture	0.0300000(Hectare)	0.0300000
2	116	Private	Agriculture	0.1000000(Hectare)	0.1000000
3	117	Private	Agriculture	0.0300000(Hectare)	0.0300000
4	119	Private	Agriculture	0.0200000(Hectare)	0.0200000
5	132	Private	Agriculture	0.1350000(Hectare)	0.1350000
6	133	Private	Agriculture	0.2600000(Hectare)	0.2600000
7	134	Private	Agriculture	0.2650000(Hectare)	0.2650000
Total				6.4300	6.4300

[F. No. 12037/79/2017-MAH(P-6)/3A]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.